न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रामकुमार बनाम चतरु

नाम मुकदमा T.2 मु. नं० 05 वर्ष 2014

दिनांक	आज्ञा पत्र
8.10.14	प्रार्थी के / अधि. उपस्थित हो। / अनुपस्थित पक्षकारों को अवसर चाहा / पूर्व में अधि. अवसर दिये जा चुके हैं, प्रकरण बंद किया जाता है। अधिवक्ता सुनी गई / अधिवक्ता द्वारा आवेदन के तथ्यों को दोहराया तथा अधि. अपार्थि द्वारा आवेदन के तथ्यों के विपरीत कथन किया / मूल वाद वादी द्वारा विवादित भूमि में अपने हक व अधिकारों की उद्घोषणा बाबत पेश किया गया है जिसका निर्णय वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य व सबूत के आधार पर किया जाना है। दौराने वाद विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थी के हक प्रभावित हो सकते हैं अतः अपार्थिगण को विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा अपार्थिगण को आदेश दिनांक निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा 180, 182, 183 बाबत ग्राम दासी की ढाणी, तहसील व जिला सीकर की भूमि पर दौराने वाद संख्या 4/2014 बनवानी रामकुमार बनाम चतरु के निर्णय तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी के दल प्रकरण होकर नम्बर सेकण्ड हो, पक्षकार हो। नियम आज मेरे हस्ताक्षर से लिखाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर